

राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़

कार्यालय पता -शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सालय भवन, रायपुर (छ.ग.) 492010 फोन नं 0771-2263165 वेबसाईट-www.schcg.in ई-मेल registrar@schcg.in

क्रमांक / रा.हो.प. / 2024 / 925

रायपुर, दिनांक – $0 \downarrow 10 / 2024$

- : पंजीयन पुनरीक्षण हेतु सूचना :--

राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़ में दिनांक 01 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक पंजीकृत समस्त होमियोपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 की धारा 32(5), छत्तीसगढ़ होमियोपैथी अधिनियम 2001 की धारा 21(2) तथा परिषद् की संपन्न बैठक दिनांक 11/10/2023 में पारित निर्णय अनुसार चिकित्सकों को पंजीयन प्रमाण पत्र का पुनरीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

अतएव उक्त अवधि में पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि पुनरीक्षण हेतु आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों व शुल्क (डिमांड ड्रॉफ्ट / नगद) के साथ कार्यालय के पते पर स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 30 नवंबर 2024 तथा विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक नियत है। उपरोक्त अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीयन स्वमेव निलंबित हो जावेगा जिसके लिए वे स्वयं जवाबदेह होंगे। पुनरीक्षण प्रक्रिया हेतु आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क संबंधी जानकारी परिषद की वेबसाईट <u>www.schcg.in</u> में उपलब्ध है।

(डॉ. संजय शुक्ला) रजिस्ट्रार राज्य होमियोपैथी परिषद्, छत्तीसगढ़ रायपुर



राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़

कार्यालय -शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सालय भवन, रायपुर (छ.ग.) 492010 फोन नं 0771-2263165 वेबसाईट-www.schcg.in ई-मेल registrar@schcg.in

पंजीयन प्रमाण पत्र पुनरीक्षण प्रक्रिया हेतु दस्तावेजों की सूची

आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :--

- स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। 01.
- आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति। 02.
- 03 पासपोर्ट साईज फोटो। 03.
- 04. शपथ पत्र।
- डिमांड ड्रॉफ्ट ''रजिस्ट्रार राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़'' के नाम से 05. स्वीकार किए जाएंगे।

अथवा

नगद शुल्क की रसीद।

शुल्क विवरण :--

01.आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की 1500 / - (एक हजार पॉच सौ रूपये) तिथि 30 नवंबर 2024 तक (बिना विलंब शुल्क के साथ)

02.विलंब शुल्क के साथ	_	पुनरीक्षण शुल्क	- 1500/-
(अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक)		विलंब शुल्क	- 500/-
कुल राशि	_		2.000 / -

2,000/-

(डॉ. संजय शुक्ला) रजिस्ट्रार राज्य होमियोपैथी परिषद्, छत्तीसगढ़ रायपुर



STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY CHHATTISGARH, RAIPUR

APPLICATION FOR REVISION

To,

The Registrar State Council of Homoeopathy Chhattisgarh Raipur (C.G.)

Sir,

My name is entered in the state register of homoeopathy under the provision of Chhattisgarh Homoeopathy Council Act. 1976 with Registration No. ______, For continuing of my name in the said register. I am enclosing Xerox copy of certificate of certificate of registration along with two Pass port size photos.

01. Name/ Surname of Applicant (In Hindi) (In English)		. Photograph
02. Name of Father03. Place of Medical Practice (If in government service then place of posting)		- - -
04. Present Residence		
Profession – Self employed Address		
Employed Employer Office Address		
05. Mob. No. 06. Aadhar Number		
07. Email-ID		
08. Date of Birth (In English calendar)	Date Month Ye	ear



// 02 //

09. Additional Qualification acquired Acquired on University/ Board	Year
10. Registration No. and Date	
 Have you been punished by Court In any criminal case or professional 	mis-conduct Yes/ No. Case No Nature of Punishment Name of Court
12. Fees for Certificate of Revision	In cash Bank draft No Name of Bank Rs. (Total)

Certified that the information furnished above is true to the best of my knowledge and records. The attested copies of testimonials are enclosed.

Date : _____

at P

(Signature and Name of Applicant)

AFA

(छत्तीसगढ़ होमियोपैथी परिषद अधिनियम 1976 की धारा 22 के अधीन राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण हेतु आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत किया जाए)

घोषणा पत्र

में		पुत्र ∕ पुत्री
-----	--	----------------

_____ आय् _____

_____ निवासी _____ निवासी _____

शपथ पूर्वक निम्नलिखित घोषणा–पत्र रजिस्ट्रार, राज्य होमियोपैथी परिषद्, छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रस्तुंत कर रहा⁄रही हूँ :–

- 01. यह कि छत्तीसगढ़ होमियोपैथी परिषद् अधिनियम 176 के उपबंधों के अधीन राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर में मेरा नाम प्रविष्ट किया गया है तथा मुझे रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ----- जारी किया गया है। मेरा नाम उक्त रजिस्टर में चालू रखने/नाम प्रत्यावर्तन हेतु मैं मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि/ पुनरीक्षण आवेदन पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर रहा/रही हूँ।
- 02. यह कि राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़ द्वारा मुझे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु बिन्दु 01 में उल्लेखित अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- 03. यह कि राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर में रजिस्टर में मेरा नाम चालू रखने/नाम प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत इस आवेदन पत्र दिनांक तक मेरे चिकित्सा व्यवसाय के संबंध में किसी भी न्यायालय, थाना, जॉच एजेंसी आदि में कोई भी प्रकरण विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 04. यह कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा मुझे, मेरे द्वारा किए गए∕किए जा रहे होम्योपैथी चिकित्सा अथवा अन्य किसी भी प्रकरण के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा अन्य विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं ठहराया गया है।
- 05. यह कि मेरे द्वारा यह घोषणा पत्र राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर में मेरा नाम उक्त रजिस्टर में चालू रखने/नाम प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

आवेदक

सत्यापन

Stor

आवेदक